



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-269962
CG-DL-E-10022026-269962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 87]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

फा. सं. 18-23/सरकार/2024-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का गस्टप्प) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, नागालैंड राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों को राज्य सरकार तथा नागालैंड नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी गई थी।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने हेतु प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार, नागालैंड सिविल सचिवालय, कोहिमा-797001, नागालैंड को एक नोटिस संख्या 18-23/सरकार/2024-आईएनसी (63697) दिनांक 08.11.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 08.11.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति नागालैंड नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में, राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में अपनी सिफारिशें परिषद को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, निम्नलिखित संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार या नागालैंड नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल से कोई टिप्पणी या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् के तस्तावेज दर्शाते हैं कि ये संस्थान कई वर्षों से वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं और नर्सिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपर्याप्त/अनुपयुक्त पाए गए हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 07.08.2025 से, निम्नलिखित संस्थानों से मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल नागालैंड राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

संस्थानों की सूची:—

1. नागालैंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी, कोहिमा, जिला, कोहिमा-797001, नागालैंड (बी.एससी. नर्सिंग)

डॉ० टी० दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./662/2025-26]

INDIAN NURSING COUNCIL WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 3rd February, 2026

F. No. 18-23/Govt./2024 – INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, the following institutions located in the State of Nagaland were recognized by the State Government and the Nagaland Nurses & Midwives Council to conduct nursing courses.

Whereas, a notice no. 18-23/Govt./2024 - INC (63697) dated **08-11-2024** for withdrawal of recognition under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947, was issued to The Principal Secretary (H&FW), Department of (H &W), Government of Nagaland, Nagaland Civil Secretariat Kohima -797001, Nagaland. A copy of the notice dated 08-11-2024 was also sent to the Nagaland Nurses & Midwives Council. In the notice issued, the State Government was requested to submit its recommendations to the Council regarding the suitability of the nursing institutions.

Whereas, the Council has not received any remarks or recommendation from the State Government or the Nagaland Nurses & Midwives Council regarding the suitability of the below-mentioned institutions.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. The Indian Nursing Council records show that these institutions have failed to apply for statutory inspection for several years and were found deficient/unsuitable for conducting nursing programmes.

Now therefore, the Council, exercising powers under Section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947, hereby declares that with effect from 07/08/2025, **any person holding a recognized qualification from the following institutions shall be entitled to be registered only in the State of Nagaland.**

List of Institutions:

1. Nagaland College Of Nursing, Naga Hospital Authority Naga Hospital Authority Kohima Distt. Kohima, 797001, Nagaland (B.Sc Nursing) 2303001

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./662/2025-26]